न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 162/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/224)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. जसवीर कौर पत्नी जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एस बी तहसील श्रीकरणपुर।	1. यादविन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एस बी तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 03.06.2025

उपस्थितः 1. श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी
2.श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

––निर्णय–– **दिनांकः04.08.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 5 एस बी, पटवार हल्का मलकानाखुर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 18/18 में वादी जसवीर कौर के नाम 1.214 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा इसी चक के खाता संख्या 19/19 में प्रतिवादी यादविन्द्र सिंह के नाम 1.816 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादी एक ही गांव के आपस में जान-पहचान सदस्य व काश्तकार है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम से दर्ज भूमि का आपसी सहूलियत व सुविधाओं के अनुसार कब्जा का आदान-प्रदान कर रखा है तथा काफी समय से उसी के अनुसार कब्जा काश्त है। राजस्व ग्राम 5 एस बी, पटवार हल्का मलकानाखुर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 19/19 में प्रतिवादी यादविन्द्र सिंह के नाम 1.816 हैक्टेयर भूमि में से 0.607 हैक्टेयर भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है और राजस्व ग्राम 5 एस बी, पटवार हल्का मलकानाखुर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 18/18 में वादी जसवीर कौर के नाम 1.214 हैक्टेयर भूमि में से 0.607 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपर्युक्तानुसार ही वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक निर्बाध रूप से निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार मौखिक अर्ज किया कि हम सहमति रकबा का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करवा लेते है, क्योंकि कृषि भूमि काश्त के अनुसार दर्ज नहीं होने के कारण, कब्जा का वाद-विवाद रहता है एंव अन्य सुविधाओं से भी वचिंत होना पडता है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 हमेशा कहता है कि वह जल्द ही उक्त भूमि का अंकन करवा देगा। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा आज तक भूमि का अंकन नही करवाया है। आज से 5 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से पुनः आग्रह किया और भूमि का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 5 एस बी, पटवार हल्का मलकानाखुर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 19/19 में प्रतिवादी यादविन्द्र सिंह के नाम 1.816 हैक्टेयर भूमि में से 0.607 हैक्टेयर भूमि का वादी जसवीर कौर को खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे एवं उपर्युक्तानुसार अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर को डिक्री पारित की जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 5 एस बी, पटवार हल्का मलकानाखुर्द, भू.अ. नि. क्षेत्र मलकाना कलां की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 18/18 में वादी जसवीर कौर के नाम 1.214 हैक्टेयर भूमि में से 0.607 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 यादविन्द्र सिंह को खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे। वादी अधिवक्ता द्वारा काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी को वादी का वादपत्र व वादी को प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादी का वादपत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने की ईशतदुआ की है। वादी के वादपत्र मय शपथपत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 5 एस बी, पटवार हल्का मलकानाखुर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 19/19 में प्रतिवादी यादविन्द्र सिंह के नाम 1.816 हैक्टेयर भूमि में से 0.607 हैक्टेयर भूमि का वादी जसवीर कौर पत्नी जसवन्त सिंह को व राजस्व ग्राम 5 एस बी, पटवार हल्का मलकानाखुर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 18/18 में वादी जसवीर कौर के नाम 1.214 हैक्टेयर भूमि में से 0.607 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 यादविन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जसवीर कौर बनाम यादविन्द्र सिंह आदिं
धारा अन्तर्गत 88, 91, 209 आरटीए
मुकदमा नम्बर **162/2025**
निर्णय दिनांक :-04.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजू व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह ढ़िल्लों उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 5 एस बी, पटवार हल्का मलकानाखुर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 19/19 में प्रतिवादी यादविन्द्र सिंह के नाम 1.816 हैक्टेयर भूमि में से 0.607 हैक्टेयर भूमि का वादी जसवीर कौर पत्नी जसवन्त सिंह को व राजस्व ग्राम 5 एस बी, पटवार हल्का मलकानाखुर्द, भू.अ. नि. क्षेत्र मलकाना कलां की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 18/18 में वादी जसवीर कौर के नाम 1.214 हैक्टेयर भूमि में से 0.607 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 यादविन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 04.08.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम} (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	300	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**304**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम} (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

क्रमांकः रीडर/2025/594
दिनांकः 04.08.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम} (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)